बिहार के सीमांचल क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की बाधाएं और संभावनाएं: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Vikram Kumar
LDC (Counter Clerk), Forbesganj College, Forbesganj , Purnea University, Purnia
E- mail id- kumarvikram0609@gmail.com

Abstract: महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह दर्शाता है कि पितृसत्तात्मक ढांचा, लैंगिक असमानता और रूढ़िवादी सोच इसके मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं, जबकि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी अधिकार और राजनीतिक भागीदारी सशक्तिकरण की मुख्य संभावनाएं हैं। सामाजिक और संरचनात्मक बदलाव के माध्यम से महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। बिहार में कामकाजी महिलाएं श्रम बल का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम पहचाना जाने वाला हिस्सा हैं। उनकी भागीदारी राज्य के ऐतिहासिक और विकासात्मक पथ में गहराई से निहित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। साक्षरता, गतिशीलता, नीतिगत हस्तक्षेपों और सामाजिक-आर्थिक सुधारों के बावजूद, बिहार में महिलाएं अभी भी व्यवस्थागत असमानताओं का सामना कर रही हैं। यह शोध पत्र सैद्धांतिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अपनाते हुए बिहार में कामकाजी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण करता है। यह लैंगिक मानदंडों, पितृसत्ता, जाति और वर्ग संरचनाओं, कार्य भागीदारी पैटर्न, वेतन भेदभाव, गतिशीलता प्रतिबंधों और संस्थागत बाधाओं का विश्लेषण करता है। यह पत्र नारीवादी सैद्धांतिक ढांचों, श्रम बाजार सिद्धांतों और विकासात्मक परिप्रेक्ष्यों पर भी चर्चा करता है जो मुद्दों को समझने के लिए वैचारिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। यह नीतिगत हस्तक्षेपों के चिंतनशील मूल्यांकन के साथ समाप्त होता है और लैंगिक रूप से न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश करता है।

[Kumar, V. **बिहार के सीमांचल क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की बाधाएं और संभावनाएं: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण**. *The International Journal of Interpretation, Observation and Analysis*, 2023; Volume 2, Issue 1:20-24 (April-June). ISSN 2349-0713, Peer-reviewed (online/offline), Refereed, Indexed and International Journal (Since 2013), Global Impact Factor: 5.776

कीवर्ड: बिहार के सीमांचल क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, बाधाएं और संभावनाएं, समाजशास्त्रीय विश्लेषण

परिचय: बिहार के सीमांचल क्षेत्र (जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले शामिल हैं) में महिला सशक्तिकरण एक जटिल और विकसित होती हुई स्थिति है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण पहल, विशेष रूप से जीविका स्वयं सहायता समूह मॉडल के माध्यम से, गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में से एक होने और साक्षरता दर कम होने के बावजूद, यह क्षेत्र जमीनी स्तर के संगठनों और लक्षित राज्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन का गवाह बन रहा है।

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

बिहार आधी आबादी के रूप में महिलायें

बिहार में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन द बोउवार का कथन है, "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।" समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालता आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। पितृसत्तात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। जब-जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब-तब समाज ही कठघरे में खड़ा होता है । समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है ।

मातृसत्तात्मक समाज

भारत व समूचा विश्व पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में रहता आया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उसका आशय यह नहीं है कि अब पितृसत्तात्मक समाज को बदल कर मातृसत्तात्मक समाज में बदल दिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखी जाती है जहाँ नारी की प्रधानता है। विश्व की कुछ जनजातियों जैसे चीन की मोसुओ, कोस्टा रिका की ब्रिब्रि जनजाति, न्यू गुयाना की नागोविसी जनजाति मातृसत्तात्मक है। यहाँ महिलायें ही राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती हैं। यदि समाज को स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ना है तो समाज मातृ या पितृसत्तात्मक होने के बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार होगी और सही मायनों में पुरुष-स्त्री समान रूप से सशक्त होंगे।

महिला सशक्तिकरण का आधार- विश्व में नारी आंदोलन व भारत में इसका प्रभाव

विश्व में नारी आंदोलन की नींव 19वीं शताब्दी में ही रखी गई। पश्चिम के कई राष्ट्र उस दौर में इस आंदोलन में भागीदार बने। नारी आंदोलन जब सामने आए तब ही स्त्री सशक्तिकरण की एक अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को समझने के लिए नारी आंदोलन को समझना भी अतिआवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो नारी आंदोलन की शुरुआत समाज द्वारा नारी को निम्नतर समझने से हुई। नारीवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को हीन दर्जा प्राप्त है। यह समाज ही उसके लिए जीवन जीने के नियम और स्वरूप को गठित करता है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकार देता है। नारी आंदोलन किसी पुरुष का नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। यह आंदोलन मानता है कि स्त्री को भी पुरुष के बराबर सम्मान, अधिकार व अवसर मिले। नारी आंदोलन लैंगिक असमानता के स्थान पर इस अवधारणा को मानता है कि स्त्री भी एक मनुष्य है। मनुष्य होने के साथ-साथ वह दुनिया की आधी आबादी है। सृष्टि के निर्माण में उसका भी उतना ही सहयोग है जितना कि पुरुष का।

नारी आंदोलन का पहला चरण 19वीं सदी का उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के प्रारंभ होने का है। अमरीका के शहरी, उदारवादी और औद्योगिक माहौल में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरी लहर साठ के दशक से शुरू हुई मानी जाती है। इसमें यह पहचान की गयी कि कानून व वास्तविक असमानताएं दोनों आपस में जटिलतापूर्वक जुड़ी हुई हैं एवं इसे दूर किया जाना चाहिए। तीसरी लहर नब्बे के दशक से प्रारंभ होती है। यह द्वितीय लहर की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। इसमें दूसरी लहर के द्वारा नारीत्व की दी हुई परिभाषा को चुनौती दी गई। वैश्विक रूप में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा था, उसे गढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में उसी के साथ भारत में भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर लगातार समाज सुधार के व्यापक प्रयास हो रहे थे। लेकिन इसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा वह पश्चिम में रहा है। भारत में नवजागरण अर्थात उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसकी शुरुआत मानी जाती है जो 1915 के आस पास तक रहती है। यह उत्थान समाज सुधार व राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहा था। इसमें अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज, बाल विवाह, सती प्रथा व देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज आदि की बात उठाई गई। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा व सवित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने तत्कालीन समाज के अनुसार स्त्रियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल माहौल बनाकर व उनको सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में स्त्री को सशक्त करने की दिशा में नारी आंदोलनों का दूसरा दौर जो लगभग भारत में गांधी के आगमन के साथ आरंभ होता है वह 1915 से आरंभ हुआ माना जाता है। यह वो दौर था जब महिलाएं एक आह्वान पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही थीं। यह वही दौर है जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गांधी व अम्बेडकर जी द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सराहनीय रूप से देखा जाता है। महात्मा गांधी बड़े व्यावहारिक रूप से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन व विधवाओं की समस्याओं तथा छुआछूत के उन्मूलन की बात कर रहे थे। दूसरी ओर ऐसे ही कार्य डॉ. अंबेडकर कर रहे थे जहाँ उन्होंने मताधिकार दिलाना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना व समानता के अधिकार को दिलाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में इसका तीसरा चरण जो अभी तक देखा जा सकता है उसके प्रमुख बिंदु महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार भारत में महिला सशक्त होने की दिशा में नारीवादी आंदोलन ने एक मुख्य भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्त होने के तमाम पहलू व उसमें आने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं।

सशक्त होने का वास्तविक आशय

पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य की पंक्ति है कि "दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं।" सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकल कर

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERPRETATION OBSERVATION ANALYSIS

नौकरी करना या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना भर नहीं है। सशक्त होने का आशय यहाँ पर उसके निर्णय ले सकने की क्षमता का आधार है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रही है या इसके लिए वह किसी और पर निर्भर है। इसी प्रकार आज आर्थिक रूप से सशक्त होने उसके लिए बहुत आवश्य है। यदि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह कभी भी सशक्त नहीं हो सकेगी, इसलिए यह एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत में महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समाज में उन्हें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक रूप से आज भी हमारे समाज का मूल पितृसत्ता के रूप में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक ढांचा आज भी बहुत मजबूत है। समय-समय पर खाप पंचायतें या इसकी जैसी ही अन्य संस्थाएं महिलाओं के वस्त्र पहनने को लेकर मोरल पुलिसिंग के तमाम प्रावधान सुझाते रहते हैं। धर्म भी इसमें कई बार अपनी भूमिका अदा करता है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना इसके ताजातरीन परिणाम हैं। सबरीमाला या अन्य धर्म के स्थलों पर प्रवेश न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म-जाति के गठजोड़, रूढ़ि व अंधविश्वास ने महिलाओं को और शोषित किया है।

राजनीति का क्षेत्र इतिहास से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस पर महिलाओं का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। राजनीति घरेलू चारदिवारी से बाहर निकल समाज को संचालित करने वाली, दिशा देने का कार्य करती है। विश्व के हर कोने में पूरे समाज में राजनीतिक पदों पर पुरुषों को ही देखा गया। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। आदिम समय से चली आ रही पुरुष प्रधान परंपरा अभी भी सतत क़ायम है। वर्तमान समय में देश की लोकसभा के कुल 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में केवल 24 सांसद हैं। कुल 28 राज्यों में वर्तमान समय में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राष्ट्रपति केवल दूसरी महिला हैं जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। भारत में राष्ट्रपति से ज़्यादा व्यावहारिक पद प्रधानमंत्री का माना जाता रहा है, इस पद केवल एक महिला का आ पाना सब कुछ उजागर करता है।

महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके पूरे भविष्य को तय करता है। यदि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं तो सही मायने में हम पूरी तरह से आजाद हैं। अनेक मसलों पर हमारा निर्णय निर्भरता की वजह से प्रभावित होता है। भारतीय सामाजिक संरचना में महिलायें काम करने के लिए बाहर नहीं जाया करती थीं, इसलिए कोई आर्थिक स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। पैसे के लिए वे अपने घर के पुरुषों यथा पिता, भाई, पति या पुत्र पर निर्भर रहा करती थीं। आज ये परिस्थितियाँ बदली हैं। महिलायें घरों से बाहर निकली हैं, पढ़ कर सभी क्षेत्रों में नौकरियां कर रही हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में वे समान वेतन पर काअम कर रही हैं लेकिन निजी क्षेत्रों में कई बार, कई जगहों पर उन्हें आज भी भेद-भाव का सामना करना पड़त है। एक लंबे समय तक भारतीय पुरुष व महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बीसीसीआई द्वारा दिए जाने वाली वार्षिक फीस में भेदभाव था, इसे अब 2022 में जाकर दूर किया गया । पूरे फिल्म उद्योग में पुरुष सितारों की फीस कि तुलना में महिलाओं की फीस काफी कम है। ऐसी असमानताएं निजी क्षेत्रों में आज बरकरार है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। फिल्म निर्देशन, उद्यमिता एवं कार्पोरेट के मुखिया जैसी जगहों पर इक्का-दुक्का उदाहरण छोड़ कर केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है जो दर्शाता है कि पुरुष प्रधानता के लक्षण मौजूद हैं।

भारत मे महिलाओं के शिक्षा के प्रयास आधुनिक काल के शुरुआती दौर में ही हुए जिसका प्रसार अब लगातार देखने को मिलता है। आज के भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियाँ भी अब पढ़ने जाने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत अवधारणाएं अभी भी बलवती हैं जिनके बावजूद निचली जाति की लड़कियां भी अब प्राथमिक विद्यालय की ओर रुख कर रही हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत है लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी घरेलू काम-काज तक ही सीमित हैं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थितियों में अंतर आज भी विद्यमान है। पूरे देश में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने में इस तरह के मौजूद अंतर को पाटना अभी बेहद जरूरी है।

अतीत में महिलाओं द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ:

इतिहास भर में महिलाओं को अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी बाधित हुई है और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में रुकावट आई है। भारत का एक राज्य बिहार, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, इन संघर्षों से अछूता नहीं रहा है। अतीत में महिलाओं द्वारा सामना की गई प्रमुख चुनौतियों में से एक शिक्षा तक सीमित पहुँच थी। पारंपरिक समाजों में, लड़कियों को अक्सर स्कूल जाने का अवसर नहीं दिया जाता था या उन्हें लड़कों के समान शैक्षिक अवसर नहीं दिए जाते थे। महिलाओं में निरक्षरता व्यापक थी, जिसके कारण रोजगार और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सीमित थे। इसके अलावा, सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक मान्यताओं ने भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं को घरेलू कामों और बच्चों की

परवरिश की जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखा है, जिससे घर से बाहर उनकी गतिशीलता सीमित हो गई है। इस गहरे जड़ जमाए लैंगिक पूर्वाग्रह ने पुरुषों और महिलाओं के बीच एक असमान शक्ति संतुलन बनाया है, जिससे महिलाओं के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करना या अपने करियर में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है।

वर्तमान परिदृश्य:

हाल के वर्षों में, बिहार के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं की कार्यबल में बढ़ती भागीदारी के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।
यह परिवर्तन लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई विभिन्न पहलों और नीतियों का परिणाम है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार,
बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी दर
2007-08 में 11% से बढ़कर 2018-19 में 18% हो गई है।
इस वृद्धि में एक प्रमुख कारक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन है,
जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। यह कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन के अवसर प्रदान करता है,
जिससे यह उन महिलाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है जिनके पास पहले रोजगार के सीमित अवसर थे।
वास्तव में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार,
बिहार में MNREGA के आधे से अधिक कार्यबल में महिलाएं हैं।
राज्य सरकार द्वारा लैंगिक समानता प्राप्त करने के प्रयास लड़कियों की शिक्षा को लक्षित करने वाली विभिन्न नीतियों में भी देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक स्तर तक लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, साइकिल वितरण योजनाओं जैसे उपायों ने हाशिए पर रहने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए परिवहन खर्च की चिंता किए बिना स्कूल जाना आसान बना दिया है।

सीमांचल में महिला सशक्तिकरण:

जीवीका पहल (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना): यह इस क्षेत्र में परिवर्तन का प्रमुख प्रेरक है। जीवीका स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने ऋण तक पहुंच प्रदान करके, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देकर और आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करके कई ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल दिया है।
उदाहरण: इस क्षेत्र की महिलाओं ने मछली पालन और बकरी पालन जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, जिससे वे कृषि श्रमिक से लघु व्यवसाय स्वामी बन गई हैं।
प्रभाव: सीमांचल में हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया गया है, जिससे घरेलू आय और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है।
राजनीतिक भागीदारी: सीमांचल में महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि देखी गई है, हाल के चुनावों में मतदान प्रतिशत काफी अधिक रहा है।
आरक्षण: पंचायती राज संस्थाओं (स्थानीय स्वशासन) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण ने कई महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया है, हालांकि "प्रतिनिधि नेतृत्व" (परिवार के पुरुष सदस्यों की ओर से कार्य करना) की चुनौती अभी भी बनी हुई है।
सरकारी योजनाएं:
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक बालिकाओं को लक्षित करने वाली एक व्यापक योजना, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना: इस योजना ने स्कूलों तक परिवहन की सुविधा प्रदान करके लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी की है, जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी बाधा थी।
रोजगार में 35% आरक्षण: राज्य ने पुलिस बल सहित सरकारी रोजगार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया है, जिससे महिलाओं को औपचारिक रोजगार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिला है।
सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:
कम साक्षरता: बिहार में सीमांचल क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सबसे कम है।
बाल विवाह: प्रगति के बावजूद, बाल विवाह की दर अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है, जिसके लिए मजबूत सामुदायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।

पितृसत्तात्मक मानदंड: इस क्षेत्र में पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं अक्सर महिलाओं की गतिशीलता और स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, जिसके लिए आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ व्यवहारिक परिवर्तन पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

सामाजिक मुद्दों पर प्रभाव: स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने से दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चला है और स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता में सुधार हुआ है।

संदर्भ

1. द इकोनॉमिक टाइम्स। जनसंख्या में 48% हिस्सेदारी के बावजूद महिलाओं का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान केवल 18% है: अध्ययन। 2024 मार्च 1।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएश-5), चरण II रिपोर्ट। नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; 2021:6।

3. अख्तर जे, चेंग के। बांग्लादेश में सूक्ष्म ऋण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के बीच सतत सशक्तिकरण पहल। स्थिरता। 2020;12(6):2275.

4. उद्दीन एम. बांग्लादेश में सतत विकास लक्ष्यों के लिए इस्लामी सूक्ष्मवित्त संस्थानों की भूमिका। इंट जे बिजनेस मैनेजमेंट। 2020;3:1-12.

5. नियाज़ एमयू, इकबाल एम. महिलाओं के सशक्तिकरण पर सूक्ष्मवित्त का प्रभाव: पाकिस्तान का एक केस स्टडी। एसएसआरएन। 2019 जुलाई 1.

6. गट्टो ए, सादिक-ज़ादा ईआर. सतत विकास लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए एक लचीलापन नीति के रूप में सूक्ष्मवित्त तक पहुंच: एक विषय-विश्लेषण। हेलियन। 2022;8(10):e10860.

7. मुश्ताक एम, दीन बीएच, सुलैती केए, अब्बास जे. महिलाओं का सशक्तिकरण एक सततता लक्ष्य के रूप में सूक्ष्म ऋण वित्त सेवाओं के माध्यम से, मूल देश के प्रभाव के साथ: महिला उद्यमिता की मध्यस्थता। जे एक्सेल मैनेज साइंस. 2024;3(3):1-24.

8. मेमन ए, अकरम डब्ल्यू, अब्बास जी. महिलाओं की भागीदारी सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) की स्थिरता प्राप्त करने में। जे सस्टेन फाइनेंस इन्वेस्ट. 2020;12(2):593-611.

9. सौम्या बीवी, रेड्डी आर. महिला कामगारों के सशक्तिकरण में सूक्ष्म वित्त का प्रभाव - एक केस स्टडी। यूजीसी केयर ग्रुप आई जे. 2022;1-16.